न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 22/2020-21

बबलू कुमार पिता छेदी साव – अपीलकर्त्ता
ग्राम–नीचे हटिया, थाना–जगरनाथपुर, जिला–रांची।

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी। – विपक्षी

आदेष का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
10.10.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।	

आवेदक ने वर्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–185R27/20-21 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.20 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
जियारप्पा	खूँटी 227	68	2188	0.05

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि मौजा–जियारप्पा, थाना–खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.05 एकड़ है को 1. इकबाल वो 2. अब्दुल मनान वो मो0 नईम वो 4. मो0 भोजम्मेल सभी के पिता स्व0 मो0 हनीफ ग्राम–कोनका रोड कर्बला चौक, रांची थाना–लोअर बाजार से विक्रय पट्टा सं0 1487/1462 दिनांक 03.10.19 से क्रय कर दखलकार चली आ रहे है। वर्णित जमीन R.S. खतियान में खाता सं0– 68 की कुल जमीन भेडू स्वांसी वल्द कर्मा स्वांसी कौम स्वांसी साकिन देह के नाम से कायमी खाता दर्ज है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक द्वारा मूल कागजात प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वाद अस्वीकृत किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा राजस्व उपपिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक को स्थल जांच कर ससमय पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन मांगा गया था। जांच प्रतिवेदन दिये बिना ही अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण अस्वीकृत कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी द्वारा जानबुझ कर गलत मंशा से आवेदक को परेशान किया गया है।

अधिवक्ता ने बहस दौरान बताया कि नामांतरण संबंधी पूर्ण दस्तावेज अंचल में दाखिल की गयी थी परन्तु अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा बिना दस्तावेज देखे ही नामांतरण अस्वीकृत कर दी गयी। अंत में अपील स्वीकार करने की प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का मिलान मूल कागजात से किया गया। अंचल अधिकारी, खूँटी को Remand करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पुनः मूल दस्तावेज का मांग कर सत्यापन कर ले एवं स्वंय स्थल जांच कर 30 दिनों के अन्दर नामांतरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करे साथ ही आवेदक को आदेश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत करे।

लेखापित एवं संशोधित,

10/10/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

10/10/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।